

कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर



Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

पत्रांक— ७९७ / १२-१ दिनांक सितम्बर ०३, २०१५.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

विषय:— वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण।

महोदय,

आपके द्वारा Online वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रभावित वृक्षों की गणना में ०-१० व्यास वर्ग की पौध को भी सम्मिलित किया गया है, इन पौधों को वृक्षों की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाना है। नाप भूमि में प्रभावित वृक्षों का निस्तारण प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम १९७६ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके किया जाय। अतः नाप भूमि में प्रभावित वृक्षों का निस्तारण प्रभाग स्तर पर पृथक से किया जाय, इन वृक्षों की सूची भी प्रस्ताव में सम्मिलित न किया जाय। इस सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक पी०ओ० १५२ दिनांक २०.०८.२०१५ में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। कृपया निम्न वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वृक्षों की सूची संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।


1. छतोली—कल्याणी भटक्याली मोटर मार्ग क्षे० २.६७ है०।
2. मेहलचौरी बैण्ड से सिलंगना—घंडियाल क्षे० ०.४५१ है०।
3. पजियाणा—घंडियाल मोटर मार्ग क्षे० १.९८८ है०।
4. मैखोली से नलगाँव—वासीसेम क्षे० २.१५२ है०।
5. छातोली—जखेट मोटर मार्ग क्षे० ०.१७ है०।
6. आदि बढ़ी—नौटी मोटर मार्ग से कॉसुवा होते हुए चॉदपुर गढ़ी तक मोटर मार्ग क्षे० १.६७ है०।
7. कावासेरा से थापली मोटर मार्ग क्षे० ०.३३ है०।

  
निदेशक / वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,  
गोपेश्वर।

पत्रांक ७९७ / १२-१

दिनांकित।

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ को प्रेषित कि अपने प्रभाग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों पर उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

  
निदेशक / वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,  
गोपेश्वर।

६८८